

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

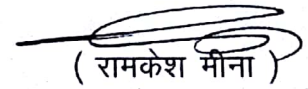
कार्यालय-आदेश

निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक / मंत्रालयिक संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरण किये जाते हैं। संबंधित संस्था प्रधान / कार्यालयध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से अविलम्ब कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करावें।

क्र०सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मीकान्त गौतम	ASST.ADM.OFF.	राउमावि चौथ का बरवाडा सवाईमाधोपुर	S.Madhopur	राउमावि सरानीखेडा	DHOLPUR
2	आकाश जैन	JR.ASST.	राउमावि महुआखेडा बाडी धौलपुर	DHOLPUR	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर	BHARATPUR
3	ऋषि कुमार गौतम	JR.ASST.	राउमावि बामन बडौदा ब्लॉक गंगापुर सिटी 212861	S.Madhopur	राउमावि हिनौता चौकी राजाखेडा (211782)	DHOLPUR
4	आशीष जैन	SR.ASST.	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सवाईमाधोपुर	S.Madhopur	राउमावि सरमथुरा, बसेडी	DHOLPUR

नोट :- क्र०सं० 1 एवं 4 को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

क्र०सं० 2 एवं 3 का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन सहमति का शपथ पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6) जारी कर की कार्यवाही की जावे एवं नवीनतम जिले में नियमानुसार वरिष्ठता का संधारण किया जावे। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के कार्यालय/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

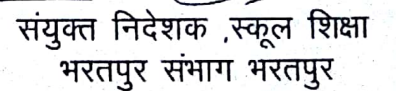

(रामकेश मीना)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनांक 26.09.21

क्रमांक:-संनि/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था-1/फा-स्था०मंत्रा/2021-22/281

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01-विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 02-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 03-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 04-सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 05-सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक
- 06-सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/मुख्य ब्लांक शिक्षा अधिकारी /पीईईओ/यूसीईईओ /संस्था प्रधान
- 07-सम्बन्धित कार्मिक
- 08-रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर